

राजस्थान सरकार
कार्यालय उप वन संरक्षक, प्रतापगढ़ (राज.)

Tele-01478-294141 E-Mail ID dcfptg123@gmail.com / dcf.pratpgh.forest@rajasthan.gov.in
क्रमांक-एफ./तक./उवसं/2023-24/ 983 दिनांक :- 22-02-24

विधित

संभागीय मुख्य वन संरक्षक,
जयपुर।

विषय :- Diversion of 4.62 Ha. Forest Land For construction of Upgradation Rural Road
From Th -Suhapura To Achalawda Upto Block Border Road Km 0/0 To 8/000
(Proposal no. FP/RJ/ROAD/127971/2021)

संदर्भ :- आपका पत्र क्रमांक 1064 दिनांक 13.02.2024 के क्रम में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र के क्रम में निवेदन है कि अति. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन सुरक्षा एवं नोडल अधिकारी FCA राजस्थान जयपुर द्वारा लगाए गए आक्षेपों की पूर्ति निम्नानुसार है-

क्र.सं.	आक्षेप	प्रत्युत्तर
1	प्रस्ताव में 450 Rmt पक्की दीवार जी गई है।, किन्तु KML फाईल अनुसार प्रस्ताव में 91 Mt ही वन भूमि के साथ सम्मिलित है।	प्रस्ताव में उपलब्ध कराई गई 5 हेक्टेयर गैर वन भूमि कुल 900 र.मी. परिधी में स्थित है। नवीन संशोधित प्राक्कलन अनुसार 700 र.मी. में पक्की दीवार का निर्माण किया जावेगा तथा शेष लगभग 200 र.मी. में कच्ची दीवार का निर्माण कार्य किया जाना प्रस्तावित है। 90 र.मी. भूमि वनभूमि तथा गैर वन भूमि की कॉमन लाईन पर स्थित है।
2	पक्की दीवार 4 फिट ली गई है, जिसे 6 फिट लिया जाना है।	प्रधान मुख्य वन संरक्षक (हॉफ) राजस्थान, जयपुर के पत्रांक 1538-52 दिनांक 22.11.2023 को जारी मॉडल अनुसार गैर वन भूमि पर 4 फिट उँचाई की पक्की दीवार करवाने के प्रावधान किये गये हैं
3	खड्डों का अलोटमेंट 4620 का लिया गया है जबकि कुल 5000 खड्डे खोदे जाने है।	संशोधित प्राक्कलन संलग्न है।

(हरि किशन सारस्वत भा.व.से.)

उप वन संरक्षक,

प्रतापगढ़

दिनांक :- 22-02-24

क्रमांक-एफ./तक./उवसं/2021-22/984-86

प्रतिनिधि :- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है-

- अति. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन सुरक्षा एवं नोडल अधिकारी F.C.A. राजस्थान जयपुर ।
- अधिशापी अभिर्यता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, द्वितीय, प्रतापगढ़ मु. अरनोद (राज.) को दि जाकर लेख है कि भारत सरकार कि अनुमति मिलने से पूर्व किसी भी प्रकार के गैर वानिकी कार्य ना करे। यदि आप द्वारा किसी भी प्रकार से गैर वानिकी कार्य किया जाता है तो समस्त जिम्मेदारी आप कि रहेगी।
- क्षेत्रीय वन अधिकारी प्रतापगढ़ को भी जाकर लेख है कि प्रस्ताव अनुमति मिलने पर वन क्षेत्र में किसी भी प्रकार का गैर वानिकी कार्य न किया जाये।

Signature valid

Digitally signed by Hari Kishan Saraswat
Designation : Deputy Conservator Of
Forest
Date: 2024.02.22 11:45:56 IST
Reason: Approved

